महंगा इलाज गरीबी बढ़ने का प्रमुख कारण है

भारत डोगरा

योजना आयोग के एक अनुसंधान पत्र (2009) में बताया गया है कि ग्रामीण भारत के जो लोग गरीबी के नीचे धकेले जा रहे हैं, उनमें से आधे लोगों के लिए इसका सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य खर्च है। अनुमान है कि वर्ष 2004-05 में इस कारण से लगभग 3.90 करोड़ लोग गरीबी के जाल में फंस गए।

पहले भी कुछ अध्ययनों ने इस गंभीर होती समस्या की ओर ध्यान दिलाया था। इस संदर्भ में आंकड़े चौंकाने वाले हैं। चारु गर्ग व अनूप करन के एक अध्ययन अनुसार वर्ष 1999-2000 में 3.20 करोड़ लोग स्वास्थ्य सेवाओं के अधिक खर्च के कारण गरीबी की रेखा के नीचे धकेले गए। इससे पहले वर्ष 2006 में वैनदूरस्लेअर, ओडोनेल व रनन-एलाज़ा के अध्ययन ने ऐसे लोगों की संख्या 3.70 करोड़ आंकी थी।

1998 में राष्ट्र संघ के एक सर्वेक्षण से पता चला था कि चीन के जितने भी नागरिक गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनमें से लगभग 50 प्रतिशत किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद ही इस स्थिति में पंहुचे हैं।

चिकित्सा विज्ञान में प्रगति के कारण अब इलाज के नए व असरदार तौर-तरीके तो उपलब्ध हैं पर आबादी के बड़े हिस्से के पास निजी अस्पतालों में महंगे इलाज के लिए संसाधन नहीं है। सरकारी अस्पतालों के खस्ताहाल के कारण उन्हें भी निजी अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है, फिर चाहे वे इलाज पूरा करवा सकें या नहीं। घर में जमा पूंजी पर्याप्त न होने के कारण अधिक ब्याज पर कर्ज़ मजबूरी बन जाता है व फिर मूलधन तो क्या, ब्याज चुकाना भी कठिन हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों से प्रायः 5 से 10 प्रतिशत प्रति माह चक्रवृद्धि ब्याज दर से कर्ज़ लिया जाता है।

वर्ष 2009 के एक अध्ययन अनुसार वर्ष 1987-88 में अस्पताल का इलाज करवाने वाले 60 प्रतिशत लोग सरकारी अस्पताल जाते थे, पर अब 40 प्रतिशत ही सरकारी अस्पतालों का लाभ उठा पा रहे हैं। स्पष्ट है कि प्राइवेट इलाज पर निर्भरता बढ़ रही है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार वैसे तो सरकारी व गैर-सरकारी दोनों तरह के अस्पतालों में इलाज पहले से महंगा हुआ है, पर कुल मिलाकर निजी अस्पतालों का इलाज सरकारी अस्पतालों से कहीं अधिक महंगा है। अस्पतालों व डाक्टरों की फीस के अतिरिक्त दवाओं की कीमत बहुत अधिक बढ़ी है। इलाज के खर्च में सबसे अधिक प्रतिशत दवाओं का ही होता है। पेटेंट कानूनों में बदलाव के बाद कीमतों में तेज़ी से बढ़ने की प्रवृत्ति दिख रही है। वैसे दवा कीमतों पर नियंत्रण भी ढीला हो रहा है व बड़ी कंपनियों की मनमानी बढ़ रही है।

भारत में दवाओं की कीमत को नियंत्रित करने का आदेश 1995 में जारी किया गया था। उसी समय इसकी तीखी आलोचना हुई थी कि यह बेहद आधा-अधूरा है व अनेक ज़रूरी दवाएं इसकी परिधि से बाहर हैं। अतः इसके स्थान पर नया आदेश लाना बहुत ज़रूरी था व स्वयं सरकार में सर्वोच्च स्तर पर इसकी ज़रूरत स्वीकार की जा चुकी है। परंतु अरबों रुपए प्रति वर्ष मुनाफे का निहित स्वार्थ इतना हावी है कि 15 वर्षों के इंतज़ार के बाद भी दवाओं की कीमतों को समग्रता से नियंत्रित करने वाला बहु-प्रतीक्षित आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है।

इस स्थिति में यह ज़रूरी हो गया है कि सरकार स्वास्थ्य बजट को बढ़ाए व सब नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे अन्यथा गरीबी की समस्या भी बढ़ती जाएगी। ***(स्रोत फीचर्स)***